

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, श्रीकृष्णपुर
(खानपुर), उत्तराखण्ड-247663

Rani Dharm Kunwar Government Degree College, Dallawal, Shrikrishanpur
(Khanpur), Haridwar Uttarakhand-247663

Website: ggdc dallawalakhanpur.in

E-mail: govtdckhanpur@gmail.com



सूचना विवरणिका

लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन
(Proactive Disclosure by Public Authority)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये 17 मैन्युअल
(धारा-4 के अनुपालन में)

पंचम संस्करण 2025-2026

प्रस्तुतकर्ता

डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी

लोक सूचना अधिकारी

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, श्रीकृष्णपुर (खानपुर), हरिद्वार, उत्तराखण्ड

प्राचार्य का सन्देश

यह नव स्थापित महाविद्यालय अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा है कि, उत्तराखण्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा तात्कालिक प्रकटन के दायित्व के अन्तर्गत इस महाविद्यालय के द्वारा प्रथम सूचना अधिकार विवरणिका संस्करण 2025-26 प्रकाशित की जा रही है।

सूचना के अधिकार को जन सामान्य तक पहुँचाने तथा इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस विवरणिका का प्रथम संस्करण जारी किया जा रहा है। इस सूचना विवरणिका में सम्मिलित सभी 17 मैनुअल एवं उनके अन्तर्गत प्रदत्त सामग्री जन सामान्य तथा महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इस आशय से अत्यन्त उपयोगी एवं सूचनाप्रद होगी कि इसके माध्यम से समस्त हितधारकों को यथोचित सूचनाएं एवं जानकारीयाँ एक दृष्टि में ही उपलब्ध हो सके। विवरणिका के वर्तमान स्वरूप में सतत् सुधार की आवश्यकता निरन्तर बनी रहेगी तथा एतदर्थ विभिन्न हितधारकों के सुझावों का स्वागत है जिन्हें आगामी संशोधनों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के समस्त अधिकारियों के सतत् मार्गदर्शन के लिए आभारी है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि यह सूचना विवरणिका अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगी।


(डॉ० आदित्य कुमार मौर्य)

प्राचार्य
रानी धर्म कौंवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)
दल्लावाला, श्रीकृष्णपुर (खानपुर)
हरिद्वार

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) बी तथा धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4)के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित 17 बिन्दुओं पर स्वतः प्रकटन ।

अनुक्रमणिका-

- 1-संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य।
- 2-अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।
- 3-विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।
- 4-कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानक/नियम।
- 5-अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख।
- 6-ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।
- 7-किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।
- 8-ऐसे बोर्डों, परिषदों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग, रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।
- 9-अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
- 10-प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों से यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।
- 11-सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।
- 12-सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है।
- 13-अपने द्वारा अनुदत्त, रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।
- 14-किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।
- 15-सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनालय के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है ।
- 16-लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
- 17-ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय ।

सगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य

उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के खानपुर विकासखण्ड के ग्राम दल्लावाला क्षेत्र में अवस्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय, दल्लावाला-खानपुर (हरिद्वार) उत्तराखण्ड शासन के राजाज्ञा-641/xxiv (7)-2(घो)/2014-15 दिनांक 11 सितम्बर 2014 द्वारा स्थापित हुआ है। उत्तराखण्ड शासन के राजाज्ञा-1237(1)/XXIV-C-2/2021-01(घो)/2014 दिनांक 12 नवम्बर 2021 द्वारा महाविद्यालय का नाम संशोधित रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार) हुआ है। दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद यह महाविद्यालय अपने स्थापना वर्ष से लेकर वर्तमान तक विभिन्न अवस्थापनात्मक समस्याओं से जूझता हुआ सतत् चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। महाविद्यालय में उपलब्ध सीमित संसाधनों के बावजूद यह उच्च शिक्षण संस्था छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक उत्कृष्टता के सृजन, बोध एवं प्रसार तथा व्यवसायिक एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला-खानपुर (हरिद्वार) उच्च शिक्षा के प्रसार एवं समुन्नयन के लिये निम्नलिखित प्रयास कर रहा है।

- 1-**योग्य व कुशल प्राध्यापकों-** द्वारा नवीन शिक्षण प्रविधियों द्वारा पाठ्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से छात्र/छात्राओं में सम्प्रेषित करना।
- 2-**पुस्तकालय व वाचनालय की सुविधा-** नवसृजित महाविद्यालय होने के साथ महाविद्यालय का पुस्तकालय व वाचनालय अपने सीमित संसाधनों से छात्र/छात्राओं के पुस्तक सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। छात्र/छात्राओं हेतु ई-ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध है।
- 3-**प्रयोगशाला की सुविधा-** महाविद्यालय में कला संकाय है तथा महाविद्यालय के पास अपनी शिक्षाशास्त्र की प्रयोगशाला उपलब्ध है।
- 4-**छात्रवृत्ति-** महाविद्यालय में अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं मेधावी छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।
- 5-**एन0एस0एस0-** विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार यह योजना संचालित की जाएगी। एन0एस0एस0 के आधे यूनिट महाविद्यालय में खोलने के लिए विश्वविद्यालय में प्रस्ताव भेजा गया है।
- 6-**शैक्षणिक कार्य-** महाविद्यालय में पठन-पाठन का बेहतर माहौल विकसित करने हेतु शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 235 कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं। साथ ही परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य बनायी गयी है।
- 7-**यू0जी0सी0-** महाविद्यालय यू0जी0सी0 की धारा 2(f) से आच्छादित है और अभी 12(बी) श्रेणी से आच्छादित करने के लिए प्रक्रिया में है।
- 8-**रोवर रेंजर्स -** रेंजर दल महाविद्यालय में संचालित है।
- 9-**नैक ग्रेडेड-** महाविद्यालय को नैक सी ग्रेड प्राप्त है।

10- देवभूमि उद्यमिता विकास केन्द्र- उत्तराखण्ड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में देवभूमि विकास केन्द्र स्थापित है जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को स्व रोजगार से सम्बन्धित जानकारी दी जाती है।

मैनुअल - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राचार्य के वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार

- 1-महाविद्यालय की सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था, अनुशासन, कार्य संचालन।
- 2-शिक्षण व्यवस्था, छात्र -प्रवेश, परीक्षाओं का आयोजन।
- 3-शिक्षणोत्तर कार्यकलाप तथा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन।
- 4-शिक्षणोत्तर कर्मियों के वर्तमान में 02 पद रिक्त हैं।
- 5-शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन/अनुशासनात्मक कार्यवाही।

मैनुअल - 3

निर्णय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाले प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

शासकीय प्रकृति के रेखीय संगठन में प्राधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं इसके विपरीत उत्तरदायित्व उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। और इस प्रकार निर्णयन प्रक्रिया पद सोपान क्रम में समान मार्गों में निहित होती है। जिसे निम्नवत रेखांकित किया जा सकता है।

- 1- प्रत्येक प्रकरण जो समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ लाया जाता है। सर्वप्रथम अभिलेख एवं प्रपत्रों को धारित करने वाले अनुभाग एवं सीट के पास सत्यापन हेतु भेजा जाता है। जिनके द्वारा उस पर अब तक अनुपालन की गई प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति तथा उपलब्ध नियमों एवं विनियमों के आलोक में की जा सकने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है।
- 2- पद धारणकर्ता/प्रभारी अधिकारी प्रकरण के समय से निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करते हैं। तथा पत्रावली में अपनी टिप्पणी कर ऐसे उच्च प्राधिकारी को भेज देते हैं।

- 3- उच्च प्राधिकारी प्रकरण की प्रवृत्ति के अनुसार उचित होने पर अनुकूलतम एवं सर्वोत्तम सम्भव निर्णय पर पहुँचने हेतु उसके समस्त आयामों पर विचार विमर्श करते हैं ।
- 4- (क)-विधिक एवं विशेषज्ञ राय की आवश्यकता वाले प्रकरणों में उनसे सलाह के पश्चात ही निर्णय लिए जाते हैं तथा उच्च प्राधिकारियों के पास निर्देशों एवं स्वीकृति प्रस्तावों पर उनके निर्देश प्राप्त किये जाते हैं ।
(ख)-उच्च निर्णय पर पहुँचने हेतु विभागीय स्तर पर समितियों से उनको सौंपे गये विशिष्ट कार्य पर उनकी संस्तुतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं ।
- 5- नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्रत्येक समूह के अधिकारियों हेतु अनुमन्य प्रतिनिहित प्राधिकार सीमा के अन्तर्गत ही निर्णय लिये जाते हैं। उचित नियोजन नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सेमिनार, सम्मेलन, समाओ एवं वर्कशाप का आयोजन भी किया जाता है।

महाविद्यालयों का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियन्त्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा तिथियों का निर्धारण, शैक्षणिक कैलेंडर सम्बन्धी प्रक्रिया

- 1- प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों एवं प्रक्रिया का निर्धारण प्रतिवर्ष श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । यह नियम महाविद्यालय के द्वारा निगमित सूचना विवरणिकाओं में भी प्रकाशित होती है। महाविद्यालय में प्रवेश इन्ही नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ।
- 2- परीक्षा तिथियों एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है। परीक्षाएं महाविद्यालय में बनाए गये परीक्षा केन्द्रों पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के निर्देशन में आयोजित कराई जाती हैं तथा परीक्षा परिणाम भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किये जाते हैं।
- 3- क्रीडा प्रतियोगिता छात्र/छात्राओं से प्राप्त क्रीडा शुल्क के आलोक में इस सत्र में किया गया है।

मैनुअल -4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

मैनुअल 3 उल्लिखित समस्त नियमों, विनियमों, अनुदेशों तथा अभिलेखों में उनका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित नियमावलीयों से भी सन्दर्भ आवश्यकतानुसार लिया जाता है।

- 1-उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड मूल नियम, वित्तीय हस्तपुस्तिका; समस्त खंड ।
- 2-मूल सेवा नियमावली ।

3-सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली ।

महाविद्यालय-प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक कार्य दिवस में महाविद्यालय/संस्था की निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित रूप में व्याख्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है, किन्तु प्रत्येक प्राध्यापक की प्रतिदिन की न्यूनतम उपस्थिति 6 घंटे 40 मिनट (40 घण्टे साप्ताहिक) की उपस्थिति यू० जी० सी० मानकों के अनुसार अनिवार्य है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये जा सकते हैं ।

भाग 2

मैनुअल - 5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4/1/बी तथा धारा 4 2/4/3 तथा 4(4) के अर्न्तगत प्रत्येक लोक प्राधिकारी निम्न 17 बिन्दुओं पर स्वतः ही सूचना प्रकट करेगा ।

- 1-संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य।
- 2-अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
- 3-लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की सूचना ।
- 4-नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के लिए सूचना।
- 5-दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं श्रेणियों के अनुसार विवरण।
- 6-बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी ।
- 7-लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
- 8-निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)
- 9-अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
- 10-अपने प्रत्येक अधिकारी और उसके कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक आय, पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति ।
- 11-प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन विवरण की सूचना सहित)
- 12-शिकायतों अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण ।
- 13-कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक /नियम ।

14- किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग सूचना के सम्बन्ध में कोरे ।

15- सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपयोग सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी हो तो उसका भी विवरण ।

16- विशिष्टियाँ ।

17- अन्य सुचनाएँ ।

मैनुअल - 6

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में धारित सूचनाएँ महाविद्यालय स्तर पर कार्यालय प्राचार्य के द्वारा समस्त शैक्षणिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों को धारित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के सन्दर्भ में आवश्यक दस्तावेज कार्यालय अधीक्षक के पास, वित्तीय दस्तावेज एवं पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी/पुस्तकालय कर्मी के अधीन रहते हैं। विभिन्न विभागों में रखी गयी पत्रावलियाँ एवं स्टॉफ पत्रिकाएँ विद्यार्थी प्रवेश उपस्थिति, परीक्षा पत्रिकाएँ तत्सम्बन्धी विभाग प्रभारी अथवा प्रयोगशाला सहायक या स्टोर सहायक के नियंत्रण में रखी जाती हैं। कुछ विशिष्ट पत्रावलियाँ एवं पत्रिकाएँ तथा तत्सम्बन्धी दस्तावेज प्राचार्य द्वारा गठित समितियों के संयोजकों के नियंत्रणाधीन होती हैं।

मैनुअल - 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सम्बन्धों (सदस्यों) से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना ।

शिक्षक-अभिभावक संघ (पीटीओए) - संस्था एवं स्थानीय समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में वृद्धि तथा स्थानीय समाज के शैक्षिक, आर्थिक एवं नैतिक सहयोग से संस्था की समस्याओं के निराकरण के प्रयास हेतु राज्य के समस्त महाविद्यालयों में अभिभावक - शिक्षक परिषद (पीटीओए) गठन का प्रावधान है। प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित इस संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है। तथा महाविद्यालय के नामित शिक्षक इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ (पीटीओए) का गठन हो चुका है।

डॉ० आदित्य कुमार मौर्य
श्री अमित कुमार
श्री योगेश
श्री तपराज
श्री सोमपाल
डॉ० संतोष कुमार सिंह
डॉ० धनंजय शर्मा
डॉ० निबेदिता प्रियदर्शनी
डॉ० प्रज्ञा राजवंशी

प्राचार्य/संरक्षक
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
उपमंत्री
संयोजक
सचिव/सहसंयोजक
मंत्री
मंत्री

पी०टी०ए० समिति के प्रमुख कार्य निम्नवत् होंगे।

- 1-शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
- 2-संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- 3-संस्था के संसाधनों को बढ़ाने में निजी सहयोग प्राप्त करना।
- 4-अभिभावकों को संस्था के विकास एवं नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करना।

मैनुअल - 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। जिनका प्रयोग उसके भाग रूप या इसके बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।
महाविद्यालय में गठित होने वाली समितियाँ,

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण महाविद्यालय स्तर पर लागू नहीं है।

महाविद्यालय स्तर पर अधिप्राप्ति अधिनियम 2008/एवं 2015 के अनुसार वित्त विभाग संगत शासनादेशों आलोक में महाविद्यालय स्तर पर क्रय समिति का गठन किया गया है।

1. **क्रय समिति**— महाविद्यालय/कार्यालय हेतु आवश्यक सामग्री क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियम 2008, 2015, 2017 एवं 2025 के अनुसार स्थानीय बाजार में सामग्री सर्वेक्षण तथा क्रय संस्तुति हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है।

क्र.सं.	नाम	संयोजक/सदस्य
1.	डॉ० निबेदिता प्रियदर्शनी	संयोजक
2.	डॉ० संतोष कुमार सिंह	सदस्य
3.	डॉ० धनंजय शर्मा	सदस्य
4.	डॉ० भूपेन्द्र	सदस्य
5.	डॉ० रेणु देवी	सदस्य

समिति पंजिका-2025-26

क्र.सं.	समिति का नाम	संयोजक	सदस्य
1	बी०ए० प्रथम सेमेस्टर प्रवेश समिति	डॉ० भूपेन्द्र	डॉ० रेणु देवी श्री अश्वनी कुमार श्री मूलू सिंह
2	क्रय समिति	डॉ० निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
3	बी०ए० तृतीय सेमेस्टर प्रवेश समिति	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० संतोष कुमार सिंह श्री मूलू सिंह
4	बी०ए० पंचम सेमेस्टर प्रवेश समिति	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० भूपेन्द्र श्री दीपक सिंह
5	युवा संसद	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
6	नशामुक्ति/मादक पदार्थ निवारण प्रकोष्ठ	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० भूपेन्द्र श्री मनमोहन सिंह श्री गौतम पूरन चन्द श्री मूलू सिंह
7	क्रीड़ा	डॉ० भूपेन्द्र	डॉ० रेणु देवी श्री मूलू सिंह
8	समर्थ पोर्टल	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार
9	रूसा एवं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० धनंजय शर्मा श्री गौतम पूरन चन्द
10	छात्रवृत्ति	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार

11	भारतवा उत्पीडन निवारण समिति आन्तरिक परिषद (POSH)	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० धनंजय शर्मा
12	एण्टी रैमिंग निवारण प्रकोष्ठ	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० रेणु देवी
13	अनुशासक मंडल	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
14	कौशल विकास समिति	डॉ० भूपेन्द्र	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
15	शैक्षणिक/अवकाश/ समय सारणी	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० रेणु देवी
16	परीक्षा समिति	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० भूपेन्द्र श्री गौतम पूरन चन्द
17	शिक्षक-अभिभावक मण्डल समिति	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० धनंजय शर्मा श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह
18	भूमि-भवन समिति	डॉ० धनंजय शर्मा	श्री मनमोहन सिंह
19	लघु निर्माण	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी डॉ० प्रज्ञा राजवंशी
20	स्वच्छ भारत अभियान	डॉ० भूपेन्द्र	श्री गौतम पूरन चन्द श्री मूलू सिंह
21	महाविद्यालय प्रांगण विकास एवं सौन्दर्यीकरण	डॉ० रेणु देवी	श्री गौतम पूरन चन्द श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह श्री अंकित
22	जल संरक्षण	डॉ० रेणु देवी	श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह
23	कैरियर काउंसिलिंग	डॉ० भूपेन्द्र	डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० रेणु देवी
24	बौद्धिक सम्पदा अधिकार/नवाचार	डॉ० भूपेन्द्र	डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा
25	रेड कास	डॉ० भूपेन्द्र	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० संतोष कुमार सिंह
26	देवभूमि उद्यमिता योजना	डॉ० रेणु देवी	डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० भूपेन्द्र
27	रैजर्स दल	डॉ० रेणु देवी	डॉ० भूपेन्द्र श्री गौतम पूरन चन्द श्री मूलू सिंह
28	प्रैस/विज्ञप्ति	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० भूपेन्द्र श्री दीपक सिंह

29	भवन निर्माण निरीक्षण	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० रेणु देवी
30	महाविद्यालय वेबसाईट	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी डॉ० भूपेन्द्र
31	मुख्यमंत्री हेल्प लाइन	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र
32	चुनावी साक्षरता क्लब	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र
33	ई रक्त कोष	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
34	कानूनी सहायता	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० रेणु देवी
35	सहायक लोक सूचना अधिकार	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० भूपेन्द्र श्री मनमोहन सिंह
36	MIS पोर्टल	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार
37	IQAC/NAAC	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी श्री अश्वनी कुमार श्री दीपक सिंह
38	NIRF	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० भूपेन्द्र
39	SIRF	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० भूपेन्द्र
40	शोध एवं विकास प्रकोष्ठ	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० धनंजय शर्मा
41	सड़क सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० भूपेन्द्र श्री गौतम पूरन चन्द श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह
42	सांस्कृतिक एवं समारोह	डॉ० रेणु देवी	डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० भूपेन्द्र
43	वेतन निर्धारण	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० धनंजय शर्मा
44	SC/ST/OBC	डॉ० रेणु देवी	डॉ० भूपेन्द्र
45	सम्बद्धता समिति	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० धनंजय शर्मा श्री मनमोहन सिंह
46	आयकर	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० धनंजय शर्मा
47	चयन समिति	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० धनंजय शर्मा

48	पुरातन छात्र समिति	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा
49	Language Lab समिति	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी
50	उत्कर्ष	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० धनंजय शर्मा
51	पुस्तकालय / वाचनालाय / ई ग्रन्थालय	श्री अश्वनी कुमार	श्री गौतम पूरन चन्द श्री दीपक सिंह
52	छात्र संघ / छात्र कल्याण	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० धनंजय शर्मा
53	बायोमैट्रिक उपस्थिति	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार
54	ई आंकलन	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० भूपेन्द्र
55	वार्षिक पत्रिका समिति	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
56	यूथ हब	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी
57	यू०सी०सी०	डॉ० धनंजय शर्मा	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० संतोष कुमार सिंह
58	AISHE	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	
59	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	डॉ० संतोष कुमार सिंह	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० धनंजय शर्मा
60	SWAYAM सलाहकार समिति	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
61	एन०ई०पी० पाठ्यक्रम क्रियान्वयन समिति	डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी डॉ० संतोष कुमार सिंह डॉ० धनंजय शर्मा डॉ० भूपेन्द्र डॉ० रेणु देवी
62	PMIS	डॉ० भूपेन्द्र	डॉ० संतोष कुमार सिंह
63	मिशन कर्मयोगी	डॉ० धनंजय शर्मा	

नियमानुसार बैठकों में नामित जनप्रतिनिधि अथवा विशेष तत्सम्बन्धी बोर्ड अथवा समिति या परिषद में सूचना देकर आमंत्रित किए जाते हैं, और उन तक कार्यवृत्त की पहुँच होती है। किन्तु कतिपय अपवाद को छोड़कर शेष सभी बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुँच नियमानुसार उपलब्ध होगी।

मैनुअल - 9

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर
(हरिद्वार), में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका -

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मौलिक वेतन
1.	डॉ० आदित्य कुमार मौर्य	प्राचार्य	181800.00
2.	डॉ० निबेदिता प्रियदर्शनी	असि० प्रो० शिक्षाशास्त्र	92600.00
3.	डॉ० प्रज्ञा राजवंशी	असि० प्रो० अंग्रेजी	79900.00
4.	डॉ० संतोष कुमार सिंह	असि० प्रो० राजनीति विज्ञान	79900.00
5.	डॉ० धनंजय शर्मा	असि० प्रो० समाजशास्त्र	75200.00
6.	डॉ० रेणु देवी	असि० प्रो० हिन्दी	66800.00
7.	डॉ० भूपेन्द्र	असि० प्रो० संस्कृत	66800.00
8.	श्री मनमोहन सिंह	कनिष्ठ सहायक	26000.00
9.	श्री अश्वनी कुमार	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	37000.00
10.	श्री गौतम पूरन चन्द	पुस्तकालय सहायक	24500.00
11.	श्री दीपक सिंह	बुक लिफ्टर (उपनल)	19057.00 मानदेय
12.	श्री मूलू सिंह	अनुसेवक (उपनल)	19057.00 मानदेय
13.	श्री पूरन सिंह	अनुसेवक (उपनल)	19057.00 मानदेय

14.	श्री मनमोहन सिंह	चौकीदार (उपनल)	19057.00 मानदेय
15.	श्री अंकित	स्वच्छक (उपनल)	19057.00 मानदेय
16.	कु0 / श्रीमती अंकिता	योगा प्रशिक्षक (आउटसोर्स)	18000.00 मानदेय

मैनुअल - 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उनके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह क) नियमावली 2003 (यथा संशोधन) के भाग-7 प्रस्तर 21 वेतनमान में (समूह क) के विभिन्न पदों हेतु श्रेणीवार प्रवृत्त वेतनमान निम्नवत निर्धारित है।

पूर्व उद्धृत

श्रेणी	पद का नाम	वेतनमान
क	प्राचार्य डॉ० आदित्य कुमार मौर्य	131400-217200 level- 13A
क	असिस्टेंट प्रोफेसर 1. डॉ० निवेदिता प्रियदर्शनी 2. डॉ० प्रज्ञा राजवंशी 3. डॉ० संतोष कुमार सिंह 4. डॉ० धनंजय शर्मा 5. डॉ० रेणु देवी 6. डॉ० भूपेन्द्र	1. 68900-205600 level- 11 2. 68900-205600 level- 11 3. 68900-205600 level- 11 3. 57700-182400 level- 10 4. 57700-182400 level- 10 5. 57700-182400 level- 10
ग	कनिष्ठ सहायक 1. श्री मनमोहन सिंह	21700-69100 level- 03
ग	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 1. श्री अश्वनी कुमार	29200-92300 level- 05
ग	पुस्तकालय सहायक 1. श्री गौतम पूरन चन्द	21700-69100 Level-03

ग	योगा प्रशिक्षक 1. कु0/श्रीमती अकिता	
घ	बुक लिपटर 1. श्री दीपक सिंह	-
घ	अनुसेवक 1. श्री पूरन सिंह 2. श्री मूलू सिंह	-
घ	स्वच्छक/चौकिदार 1. श्री मनमोहन सिंह 2. श्री अंकित	-

मैनुअल - 11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

उद्देश्यवार वर्गीकरण; लेखाशीर्षक एवं मानक मदवार विवरण)

Main Budget-2202 (सामान्य शिक्षा)

03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

लेखाशीर्षक 2202031030300

राजस्व पक्ष

क्र. सं.	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026) तक मानक मदवार व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	04-यात्रा व्यय	35000	31165	3835	बजट समर्पण
2	08-पारिश्रमिक	1310000	1265876	44124	बजट समर्पण
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	19000	18966	34	बजट समर्पण
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	76000	75666	334	बजट समर्पण
6	22-कार्यालय व्यय	14000	14000	0	पूर्ण उपभोग
	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्रय एवं अनुरक्षण	230000	229761	239	
7	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	153000	152286	714	बजट समर्पण
8	42-अन्य विभागीय व्यय	68000	68000	0	पूर्ण उपभोग
कुल समर्पित धनराशि (उन्चास हजार दो सौ अस्सी रुपये मात्र)				49280.00	

लेखाशीर्षक 2202031070700

(मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति)

राजस्व पक्ष

सत्र- 2025-26 में महाविद्यालय के छात्र निधि व अन्य खातों का विवरण

सत्र 2025-26 में महाविद्यालय के छात्र निधि खातों का विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	छात्र निधि का नाम	01.04. 2025 की धनराशि (रु०)	सत्र 2025-26 में जमा धनराशि (रु०)	कुल जमा धनराशि (रु०)	सत्र 2025-26 में व्यय (रु०)	अवशेष (रु०)
1	विभागीय परिषद शुल्क	11312.30	8200	19512.30	8430	11082.30
2	क्रीडा शुल्क	6863.23	43200	50063.23	11568	38495.23
3	बालनालय शुल्क	19767.23	5020	24787.23	19209	5578.23
4	पत्रिका शुल्क	34988.65	6700	41688.65	10259	31429.65
5	स्वोपात्मक शुल्क	14401.95	920	15321.95	8500	6821.95
6	छात्र संघ शुल्क	31634.65	6780	38414.65	2920	35494.65
7	काउंसिलिंग शुल्क	23155.30	4020	27175.30	3929	23246.30
8	रोवर्स रेंजर्स शुल्क	1049.58	5520	6569.58	840	5729.58
9	छात्र सहायता कोष शुल्क	10178.94	1840	13778.94	1760	12018.94
10	परिचय पत्र शुल्क	11481.07	3600	15081.07	1893	13188.07
11	कम्प्यूटर शुल्क	63078.23	11720	74798.23	48478	26320.51
12	सांस्कृतिक परिषद शुल्क	241.58	6780	7021.58	3270	3751.58
13	जल-विद्युत शुल्क	19560.30	10040	29600.30	18571	11029.30
14	कॉशनमनी शुल्क	12485.95	12200	24685.95	13682	38367.95
15	शिक्षक-अभिभावक संघ शुल्क	24382.30	5020	29402.30	1000	28402.30
16	महाविद्यालय सौन्दर्यीकरण शुल्क	4669.30	9200	13869.30	00	13869.30
17	विविध शुल्क	4091.94	14220	18311.94	7636	10675.94
18	प्रसाधन शुल्क	14516.00	6700	21216	59	21157.00
19	महाविद्यालय दिवस शुल्क	2521.40	3180	5701.40	1250	4451.40
20	जनरेटर/इनवर्टर शुल्क	13588.40	6700	20288.40	5285	15003.96
21	पार्किंग शुल्क	5539.00	1250	6789.00	3623	3166.64
22	रेड क्रॉस शुल्क	26959.64	6680	33639.24	6972	26667.28
23	प्रायोगिक मौखिक शुल्क	350.00	350	700	00	700.00
24	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	2544.40	00	2544.40	00	2544.40

मैनुअल - 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है

महाविद्यालय स्तर पर नियमानुसार स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	छात्रवृत्ति का नाम	प्रस्तावित वास्तविक व्यय 2025 -2026	छात्रवृत्ति की संख्या एवं दर
1.	अनुजा/जनजा/पि0 जाति	छात्रवृत्ति कार्यालय: जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के माध्यम से वितरित की जाती है।	

मैनुअल - 13

रियायत

समय-समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में रियायत दी जाती है।

मैनुअल - 14

किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसके उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य कार्यालय में आधारभूत सूचनाओं का कार्य कम्प्यूटरीकृत हो चुका है। निदेशालय कार्यालय में महाविद्यालय द्वारा तैयार स्टॉफ स्टेटमेंट कम्प्यूटर में संग्रहित है, जो इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हो सकता है।